उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः /XXVII(7)/21-32/2007टी.सी.
देहरादूनः दिनांक 21 अप्रैल, 2021

कार्यालय–ज्ञापन

कोविड–19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आयी भारी गिरावट के दृष्टिगत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञापन संख्या–F.9/4/2020-PPD dated 12th November, 2020 व समसंख्यक कार्यालय –ज्ञापन दिनांक 12.11.2020 के द्वारा सामान्य वित्तीय नियम (GFRs) 2017 में सामग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की गयी है:–

(a) Performance Security (कार्यपूर्ति प्रतिभूति):-

"....it is decided to reduce Performance Security from existing 5-10% to 3% of the value of the contract for all existing contracts. However, the benefit of the reduced Performance Security will not be given in the contracts under dispute wherein arbitration/Court proceedings heve been already started or are contemplated"

(b) Bid Security/Earnest Money Deposit (निविदा प्रतिभूति अथवा धरोहर धनराशि):-

".....no provisions regarding Bid Security should be kept in the Bid Documents in future and only provision for Bid Security Declaration should be kept in the Bid Documents."

2. भारत सरकार के उक्त वर्णित कार्यालय–ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सामग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति की वर्तमान में प्रचलित और दिनांक 31.12.2021 तक की निविदाओं में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–17 में उल्लिखित कार्यपूर्ति प्रतिभूति की 5-10% की दरों में कमी करते हुये संविदा के मूल्य का 3% एवं नियम–36 में उल्लिखित निविदा प्रतिभूति अथवा धरोहर धनराशि (Bid Security/Earnest Money Deposit) के स्थान पर दिनांक 31–12–2021 तक प्राप्त होने वाली निविदाओं में निविदा प्रपत्र में Bid Security Declaration का प्रविधान रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त व्यवस्था दिनांक 31–12–2021 तक ही प्रभावी रहेगी। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित पूर्व व्यवस्था दिनांक 01.01.2022 से होने वाली निविदाओं पर स्वतः लागू हो जायेगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 121 (1)/ XXVII(7)/21-32/2007 टी.सी.तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख/मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।

क्रमशः 2 पर